संख्या– 1151/2021–सीएक्स–3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज, उत्तर प्रदेश।
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानुपर/वाराणसी।
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 02 जुलाई, 2021

विषयः– गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021 के क्रम में गतिविधियों को प्रारम्भ करने के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3, दिनांक 19.06.2021 द्वारा जारी निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर संख्या 14 में संशोधन करते हुए कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में निम्नलिखित गतिविधियां खोलने की अनुमति दिनांक 05.07.02.2021 से सप्ताह में 05 दिन (सोमवार से शुक्रवार) हेतु प्रदान की जाती है :–

(1) सिनेमा हॉल
(2) मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल
(3) जिम
(4) स्पोटर्स स्टेडियम।

3. उपरोक्त समस्त गतिविधियों को प्रारम्भ करते समय मुख्यद्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्पडेस्क स्थापित किया जायेगा तथा मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर के उपयोग एवं कोविड–19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों का अनुपालन किया जायेगा।

4. स्वीमिंग पूल पूर्व की भांति अग्रिम आदेशों तक वन्द रहेंगे।

कृपया शासनादेश संख्या–1054/2021–सीएक्स–3 दिनांक 19 जून, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।